60 62

10रु कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20रु कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि.ग. 22-05-2016

प्र.क्र. /2016 पुनरीक्षण

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता। द्वारा आज दि. 04-7-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
04-7-16 एडवोकेट
ग्वालियर

राजेन्द्र कुमार ब्रा. पुत्र रामखिलावनराम निवासीग्राम खेरवड़ा तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

केशरीलाल गुप्ता पुत्र परमसुख गुप्ता निवासीग्राम बरगंवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील देवसर वृत्त बरगंवा जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक 38/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26.12.15 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2 यह कि, वादग्रस्त भूमि ख.नं. 113/1 रकवा 0.312 हे. भूम का पटटा तहसील न्यायालय के प्र.क्रं. 67/अ-6-अ/04-05 में पारित आदेश दिनांक 14.12.04 द्वारा आवेदक के पक्ष में जारी किया गया था। तभी से आवेदक का राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर नाम दर्ज चला आ रहा है।

(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग०- 2205 - ॥ /16 जिला - सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 10/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार तह. देवसर के प्रकरण क्रमांक 38/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26/12/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/2019 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य 6/2/19	